न्यूज़ टुडे

भारत ने महाद्वीपीय मग्न-तट पर नया दावा करके पाकिस्तान के साथ समुद्री विवाद में अपनी स्थिति मजबूत की

भारत ने अपने '**विस्तारित महाद्वीपीय मग्न-तट**' (Extended Continental Shelf) के तहत **मध्य अरब सागर जलक्षेत्र में लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर** तक अपने दावे को बढ़ा दिया है।

- साथ ही, भारत और पाकिस्तान के बीच समुद्री सीमा को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद से बचने के लिए **अपने पहले के दावे में भी संशोधन** किया है।

समुद्री सीमा विवाद के बारे में

- **अनन्य आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone: EEZ):** समुद्र तटीय देशों के पास "अनन्य आर्थिक क्षेत्र" होता है। यह उनकी तटरेखा से समुद्र में 200 नॉटिकल मील तक विस्तृत होता है। इस जल क्षेत्र में इन देशों को **खनन और मछली पकड़ने के अनन्य अधिकार** होते हैं।
  - इसके अतिरिक्त, ऐसे देश महासागर में और अधिक जल-क्षेत्र पर दावा कर सकते हैं, बशर्ते वे "**महाद्वीपीय मग्न-तट की सीमाओं पर आयोग (Commission on the Limits of the Continental Shelf - CLCS)**" के समक्ष वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध कर सकें कि उनका दावा किया गया जलक्षेत्र उनकी स्थलीय सीमा से निर्बाध रूप से समुद्री निंतल तक फैला हुआ है।
    - यह आयोग **संयुक्त राष्ट्र** की एक संस्था है।
  - यह पूरा महासागरीय जलक्षेत्र संबंधित देश के **विस्तारित महाद्वीपीय मग्न-तट का हिस्सा** माना जाता है।
- भारत ने 2009 में अरब सागर के विस्तृत जल क्षेत्रों पर "CLCS" के समक्ष अपना पहला दावा प्रस्तुत किया था।
- पाकिस्तान ने **2021 में भारत के दावे पर आपत्ति** जताई थी। पाकिस्तान का कहना था कि भारत द्वारा दावा किए गए क्षेत्र "**विवादित**" हैं। पाकिस्तान ने विशेष रूप से **सर क्रीक** को विवादित माना।
- मार्च 2023 में, **CLCS ने अरब सागर क्षेत्र में भारत के पूरे दावे को अस्वीकार** कर दिया था। हालांकि, आयोग ने **पक्षकार देशों को 'संशोधित दावे' प्रस्तुत करने की अनुमति** दी थी।

महाद्वीपीय मग्न-तट की सीमाओं पर आयोग (CLCS) के बारे में

- CLCS का मुख्यालय **संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय न्यूयॉर्क** में स्थित है।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य **समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCLOS)** को लागू करने में सहायता करना है। यह विशेष रूप से '**बेसलाइन से 200 नॉटिकल मील**' से आगे महाद्वीपीय मग्न-तट की बाह्य सीमा के निर्धारण में मदद करता है।
- **आयोग की सिफारिशों का स्वरूप:** इसका निर्णय **अंतिम और तटीय देशों पर बाध्यकारी** होता है।

सर क्रीक के बारे में

- यह **96 किलोमीटर लंबा विवादित ज्वारनदमुख** (Tidal estuary) है।
- यह अरब सागर तक विस्तृत है और मोटे तौर पर **पाकिस्तान के सिंध प्रांत को भारत के गुजरात के कच्छ क्षेत्र से अलग** करता है।
- **वर्ष 1947** में, भारत चाहता था कि इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जल क्षेत्र कानून के सिद्धांत यानी **थालवेग सिद्धांत** (Thalweg Principle) के अनुसार सुलझाया जाए। इस सिद्धांत के अनुसार यदि राष्ट्रों की सीमाएं जलमार्ग में स्थित हैं तो फिर सीमा केवल नौगम्य जल-क्षेत्र (Navigable channel) के मध्य में निर्धारित की जानी चाहिए।
  - हालांकि, पाकिस्तान ने दावा किया कि **सर-क्रीक नौगम्य नहीं** है, इसलिए इस पर **थालवेग सिद्धांत लागू नहीं** हो सकता।

ओडिशा सरकार ने सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व को नेशनल पार्क अधिसूचित किया

सिमिलिपाल **भारत का 107वां और ओडिशा का दूसरा नेशनल पार्क** है। **भितरकनिका, ओडिशा का पहला नेशनल पार्क** है।

- गौरतलब है कि सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल **2,750 वर्ग किलोमीटर** है। इसके **845.70 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को नेशनल पार्क** के रूप में अधिसूचित किया गया है। इस तरह **सिमिलिपाल ओडिशा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क** बन गया है। **भितरकनिका** का क्षेत्रफल इससे **कम** है।

सिमिलिपाल वन के बारे में

- **अवस्थिति:** सिमिलिपाल नेशनल पार्क **ओडिशा के मयूरभंज जिले में छोटानागपुर क्षेत्र** में स्थित है।
- **बहने वाली मुख्य नदियां: बुद्धबलंगा, पलपला, बंदन, सालंदी, कहैरी और देव** नदी।
- सिमिलिपाल को **वन्यजीव अभयारण्य** और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत **टाइगर रिजर्व** के रूप में भी अधिसूचित किया गया है। साथ ही, इसे **यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम** के तहत **2009 में बायोस्फीयर रिजर्व** भी घोषित किया गया था। यह **मयूरभंज एलीफैंट रिजर्व** का भी हिस्सा है।

नेशनल पार्क क्या होता है?

- **परिचय:** नेशनल पार्क एक ऐसा अधिसूचित क्षेत्र होता है, जिसे उसकी **पारिस्थितिकीय तथा उसमें पाए जाने वाले जीव-जंतु, वनस्पति, स्थलाकृति या वन्य-जीवों की वैज्ञानिक महत्ता** के कारण उसके **वन्य-जीवों और पर्यावरण को सर्वोत्तम संरक्षण** प्रदान किया जाता है।
  - नेशनल पार्क **किसी अभयारण्य के भीतर का संरक्षित क्षेत्र** भी हो सकता है या जरूरी नहीं है कि वह कोई अभयारण्य हो ही।
- नेशनल पार्क के भीतर **किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि प्रतिबंधित** होती है। हालांकि, राज्य के **मुख्य वन्यजीव संरक्षक** (Chief Wildlife Warden) द्वारा कुछ गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है।
- साथ ही, **वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत कुछ आदिवासी समूहों को नेशनल पार्क के भीतर रहने की अनुमति** दी गई है।
- **अधिसूचना: राज्य सरकारों द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत नेशनल पार्क की अधिसूचना** जारी की जाती है।
  - हालांकि, एक बार अधिसूचित हो जाने के बाद, राज्य सरकार **राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सिफारिश के बिना नेशनल पार्क की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं** कर सकती।

सिमिलिपाल की जैव-विविधता

वनस्पति

आर्द्र मिश्रित पर्णपाती और उष्णकटिबंधीय अर्द्ध-सदाबहार वन। शुष्क पर्णपाती वन (जैसे साल वृक्ष) और घास के मैदान भी मौजूद हैं।

वन्य-जीव

सिमिलिपाल में विशेष रूप से **मेलैनिस्टिक बाघ** भी पाए जाते हैं। यहां पाए जाने वाले अन्य जानवरों में **फिशिंग कैट, बार्किंग डियर, माउस डियर** आदि शामिल हैं।

ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक 2025 में घोषणा-पत्र अपनाया गया

इस घोषणा-पत्र में दो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई है: "**आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एंड द फ्यूचर ऑफ़ वर्क**" तथा "**द इम्पैक्ट्स ऑफ़ क्लाइमेट चेंज ऑन द वर्ल्ड ऑफ़ वर्क एंड ए जस्ट ट्रांजीशन।**"

- बैठक का आयोजन **ब्राजील की अध्यक्षता में ब्रासीलिया** में किया गया। इस बैठक की थीम थी- "**अधिक समावेशी और सतत गवर्नेंस के लिए ग्लोबल साउथ के सहयोग को मजबूत करना**"।

घोषणा-पत्र की मुख्य विशेषताओं पर एक नजर

- **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)** ने श्रमिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए इसका समर्थन किया है।
- **घोषणा-पत्र में ब्रिक्स देशों ने निम्नलिखित प्रतिबद्धता जताई है:**
  - नवाचार और श्रमिक संरक्षण के बीच संतुलन बनाते हुए **समावेशी AI नीतियों** को बढ़ावा देंगे।
  - **न्यायसंगत जलवायु संक्रमण** सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक संवाद को प्रोत्साहित करेंगे।
  - विशेष रूप से लेबर गवर्नेंस, डिजिटल समावेशन और हरित नौकरियों के सृजन में **दक्षिण-दक्षिण सहयोग** को मजबूत करेंगे।

श्रमिकों के लिए घोषणा-पत्र का महत्त्व

- **गरिमापूर्ण कार्य के लिए AI का उपयोग:** यह सभी श्रमिकों की AI तक समान पहुंच सुनिश्चित करने में सहायक साबित होगा, जिससे उनकी अभिव्यक्ति को सार्थक सामाजिक संवाद के माध्यम से सुनना आसान हो जाएगा।
  - ILO के अनुसार ब्रिक्स देश दक्षिण-दक्षिण सहयोग के माध्यम से कार्यस्थलों पर **AI के अधिकार-आधारित उपयोग के संबंध में आवश्यक परिवर्तनों** को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
- **जस्ट ट्रांजीशन-हरित नौकरियां व समावेशी नीतियां:** पारिस्थितिकी-तंत्र के पतन से 1.2 बिलियन आजीविका खतरे में हैं; लगभग 2.4 बिलियन श्रमिक हानिकारक अत्यधिक गर्मी में काम करने हेतु मजबूर हैं।
- **सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा:** सामाजिक सुरक्षा में व्याप्त अंतर तेजी से बढ़ रहा है। इससे प्लेटफॉर्म वर्कर्स जैसा असुरक्षित वर्ग भी और अधिक प्रभावित हो रहा है। आज भी 83 प्रतिशत लोगों के लिए बुनियादी सामाजिक सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं है।
- **सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन:** ILO ने ब्रिक्स देशों को "**वैश्विक सामाजिक न्याय गठबंधन**" के माध्यम से समर्थन देने की प्रतिबद्धता जताई है। इसके तहत उन्हें मानक मार्गदर्शन तथा शोध संबंधी और तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा।

सूचीबद्ध कंपनियों के कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) व्यय में वृद्धि दर्ज की गई

एक रिपोर्ट के अनुसार, मुनाफे में वृद्धि के चलते 2023-24 में **कंपनियों की CSR फंडिंग में 16% की वृद्धि** दर्ज की गई है। यह व्यय **2022-23 के 15,524 करोड़ रुपये** से बढ़कर **2023-24 में 17,967 करोड़ रुपये** हो गया था।

- HDFC बैंक ने सबसे अधिक 945.31 करोड़ रुपये का CSR व्यय किया। इसके बाद **रिलायंस इंडस्ट्रीज** और **टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS)** ने व्यय किए।

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के बारे में

- CSR के माध्यम से कंपनियां **अपने व्यावसायिक कार्यों में सामाजिक और पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं के समाधान को एकीकृत** करती हैं।
- **भारत में CSR से जुड़े नियम**
  - CSR व्यवस्था की शुरुआत **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135** के तहत की गई है।
    - भारत **विश्व का पहला ऐसा देश है, जिसने CSR कार्यों को अनिवार्य करने वाला कानून** बनाया है।
  - **CSR के लिए पात्रता मानदंड:** इंफोग्राफिक में बताए गए हैं।
  - **फंड आवंटन:** कंपनियों द्वारा अपने **पिछले तीन वर्षों के औसत निवल लाभ का कम-से-कम 2% CSR गतिविधियों में व्यय** करना अनिवार्य है। इनमें **राष्ट्रीय विरासतों का संरक्षण** जैसी गतिविधियां भी शामिल हैं।
  - **नियम का पालन नहीं करने पर दंड:** यदि कंपनी निर्धारित राशि खर्च करने में विफल रहती है और इस हेतु स्थापित निधि में स्थानांतरित भी नहीं करती है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है।
  - **पंजीकरण:** CSR गतिविधि करने की **इच्छुक कंपनियों को कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य** है।

CSR के लिए पात्रता मानदंड

- कंपनी की कुल **नेटवर्थ 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक** होनी चाहिए।
- कंपनी का **टर्नओवर 1000 करोड़ रुपये या उससे अधिक** होना चाहिए।
- कंपनी का **निवल लाभ 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक** होना चाहिए।

वैज्ञानिकों ने महाद्वीपों के स्थिर भागों के उत्थान के पीछे अज्ञात बलों का पता लगाया

वैज्ञानिकों ने विश्लेषण किया है कि कैसे और क्यों महाद्वीपों के स्थिर भाग (जिन्हें क्रेटन कहा जाता है) धीरे-धीरे ऊपर उठते हैं तथा **ग्रह की कुछ सबसे बड़ी स्थलाकृतिक स्वरूपों, जैसे एस्कार्पमेंट एवं पठारों का निर्माण** करते हैं।

- क्रेटन प्लेट टेक्टोनिक्स के **सबसे कम समझे जाने वाले पहलुओं** में से एक हैं।

निष्कर्ष क्या हैं?

- जब **टेक्टोनिक प्लेट्स टूटती** हैं, तो पृथ्वी के भीतर **शक्तिशाली तरंगें उत्पन्न** होती हैं, जो महाद्वीपीय सतहों को प्लेट सीमाओं से दूर **एक किलोमीटर से अधिक ऊपर उठा** सकती हैं।
- **तंत्र: महाद्वीपीय भ्रंशन (दरार)** (जैसे, अफ्रीकी भ्रंश घाटी में) पृथ्वी के क्रस्ट को फैलाता है। इससे एक **'डीप मेंटल वेव'** बनती है, जो महाद्वीप के आधार के साथ **लगभग 15-20 किलोमीटर प्रति मिलियन वर्ष की गति** से गमन करती है।
  - ये तरंगें **महाद्वीपीय आधार से चट्टानों की परतों को हटाती** हैं, जिससे उत्थान होता है।
  - इन तरंगों से होने वाला **अपरदन चट्टानों को हटाकर इस उत्थान** को और बढ़ाता है, जिससे **पठारों का निर्माण** होता है।

प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के बारे में

- इसे भूविज्ञान की **'थ्योरी ऑफ एवरीथिंग'** के रूप में भी जाना जाता है।
- यह वर्णित करता है कि पृथ्वी की भू-गर्भिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप **प्रमुख भू-आकृतियां (जैसे ज्वालामुखी और भूकंप) कैसे** बनती हैं।
- **तंत्र:** पृथ्वी की सबसे बाह्य परत **(लिथोस्फियर), जो क्रस्ट और ऊपरी मेंटल** से बनी है, का **विखंडन बड़ी चट्टानी प्लेट्स** में हो जाता है।
  - ये प्लेट्स चट्टान की **आंशिक रूप से पिघली हुई परत (एस्थेनोस्फीयर)** के ऊपर तैरती रहती हैं।

टेक्टोनिक प्लेट्स

बड़ी प्लेट्स
उदाहरण के लिए- पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट आदि।

छोटी प्लेट्स
उदाहरण के लिए- जुआन डी फुका प्लेट, कोकोस प्लेट, नाज़का प्लेट, कैरिबियन प्लेट आदि।

केंद्र सरकार I4C को मनी लॉन्ड्रिंग-रोधी कानून के दायरे में लाई

हाल ही में, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग ने **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) को धन-शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act: PMLA), 2002 की धारा 66** के अंतर्गत शामिल करने के लिए अधिसूचना जारी की।

- इससे I4C को **प्रवर्तन निदेशालय (ED) तथा कानून लागू करने वाली अन्य एजेंसियों के साथ सूचना साझा करने और प्राप्त करने में मदद** मिलेगी। इससे साइबर क्षेत्र से जुड़े वित्तीय अपराधों के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूत किया जा सकेगा।

PMLA अधिनियम, 2002 की धारा 66 (सूचना को सार्वजनिक करना)

- धारा 66 **प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक या उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य अथॉरिटी को किसी अन्य एजेंसी के साथ सूचना साझा करने का अधिकार** देती है, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके।
- उपर्युक्त अथॉरिटी उन सूचनाओं या जानकारियों को साझा कर सकती है, जो उसके पास उपलब्ध होगी। साथ ही, सूचना तभी साझा की जाएगी जब **किसी अन्य कानून के प्रावधानों का उल्लंघन** हुआ हो और आगे कार्रवाई की जरूरत हो।

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के बारे में

- इसे **आधिकारिक तौर पर 2020 में गठित** किया गया था। यह **केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक पहल** है। इसे देश में **साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए नोडल एजेंसी** के रूप में स्थापित किया गया है।
  - जुलाई 2024 में, इसे **केंद्रीय गृह मंत्रालय का एक अनुलग्नक कार्यालय (Attached office)** बनाया गया था।
- **उद्देश्य:** इस संस्था का उद्देश्य साइबर अपराध से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए **सुरक्षा एजेंसियों को व्यवस्थित एवं कुशल तंत्र प्रदान** करना है।
- **I4C की संरचना में निम्नलिखित शामिल हैं:**
  नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP),
  नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट (NCTAU),
  नेशनल साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट (NCEMU),
  जॉइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन टीम (JCCT), आदि।

अन्य सुर्ख़ियां

प्राचीन मुजिरिस बंदरगाह

मुजिरिस हेरिटेज प्रोजेक्ट (MHP) में अहम भूमिका निभाने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार **एम. जी. एस. नारायण** को केरल राज्य विधान सभा में श्रद्धांजलि दी गई।

प्राचीन मुजिरिस बंदरगाह के बारे में

- यह वर्तमान **केरल के मालाबार तट पर स्थित एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र** था। यह **पहली सदी ईसा पूर्व से आरंभिक मध्यकाल तक सक्रिय** था।
- यह मसाला व्यापार, **विशेष रूप से काली मिर्च** (जिसे अक्सर **काला सोना** कहा जाता था) के लिए प्रसिद्ध था।
- निर्यात की अन्य वस्तुओं में **अर्ध-कीमती पत्थर, हाथी दांत, मोती** आदि शामिल थे।
- यह बंदरगाह **दक्षिण भारत को फारस, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और भूमध्यसागरीय (ग्रीक व रोमन व्यापारी) विश्व** से जोड़ता था।
- इसका उल्लेख **प्लिनी द एल्डर के लेखों और पेरिप्लस ऑफ़ द एरिथ्रियन सी** में किया गया है।

रेड-क्राउंड रुफ्ड टर्टल

उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में लगभग 20 रेड-क्राउंड रुफ्ड टर्टल्स को छोड़ा गया।

रेड-क्राउंड रुफ्ड टर्टल के बारे में

- इसे **बंगाल रुफ्ड टर्टल** भी कहा जाता है।
- **प्राप्ति क्षेत्र:** यह **भारत, बांग्लादेश और नेपाल का स्थानिक (Native)** जीव है।
  - वर्तमान में भारत के केवल **राष्ट्रीय चंबल नदी घड़ियाल अभयारण्य में ही इस प्रजाति की अधिक संख्या** पाई जाती है।
- **मुख्य विशेषताएं:** यह टर्टल प्रजाति **ताजे जल** में पाई जाती है। यह प्रजाति आमतौर पर **प्रबल वेग वाली गहरी नदी** में पाई जाती है। यह प्रजाति **जमीन पर अंडे** देने आती है।
- **संरक्षण स्थिति:**
  - **IUCN रेड लिस्ट श्रेणी:** क्रिटिकली एंडेंजर्ड।
  - **CITES:** परिशिष्ट-I में सूचीबद्ध।
- **मुख्य खतरे:**
  - पर्यावास नष्ट होना,
  - मछली पकड़ने के गैर-कानूनी जालों में फंसना,
  - शिकार, आदि।

bank.in डोमेन

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों के लिए **विशिष्ट इंटरनेट डोमेन '.bank.in' को अक्टूबर 2025 तक चालू करने का निर्णय** लिया।

'bank.in' डोमेन के बारे में

- **डिजिटल पेमेंट में धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं से निपटने** के लिए विशिष्ट 'bank.in' इंटरनेट डोमेन की शुरुआत की गई है।
- इस पहल का उद्देश्य **साइबर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना तथा डिजिटल बैंकिंग और भुगतान प्रणाली में जनता के विश्वास को बढ़ाना** है।
- नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NIXI) ने **इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी (IDRBT)** को इस डोमेन के लिए एक्सक्लूसिव रजिस्ट्रार के रूप में अधिकृत किया है।
  - NIXI का पंजीकरण 2003 में हुआ था। वर्तमान में यह कंपनी अधिनियम, 2013 की **धारा 8** के तहत पंजीकृत एक **गैर-लाभकारी संगठन** है।

बंदर अब्बास बंदरगाह

हाल ही में, **ईरान के शाहिद राजाई बंदरगाह** पर "**सोडियम परक्लोरेट रॉकेट ईंधन**" (मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाला) में विस्फोट हुआ। शाहिद राजाई बंदरगाह **बंदर अब्बास बंदरगाह परिसर** का एक हिस्सा है।

- शाहिद राजाई बंदरगाह **ईरान का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत टर्मिनल** है।

बंदर अब्बास बंदरगाह के बारे में

- **अवस्थिति:** यह **दक्षिणी ईरान में चाबहार बंदरगाह के पश्चिम में स्थित होर्मुज जलडमरूमध्य** पर स्थित है।
  - **दुनिया का 20 प्रतिशत तेल व्यापार** यहीं से होकर गुजरता है।
- यह **फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच** एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है।

टाइक्सियन रीफ (Tiexian Reef)

दक्षिण चीन सागर में चीन ने फिलीपींस के प्रमुख सैन्य आउटपोस्ट थिटू द्वीप (Thitu Island) के पास विवादित टाइक्सियन रीफ पर कब्जा किया।

- थिटू द्वीप को पग-आसा द्वीप (Pag-asa Island) भी कहा जाता है।

टाइक्सियन रीफ के बारे में

- **अन्य नाम:** सैंडी के (Sandy Cay)। यह स्प्रैटली द्वीप-समूह का हिस्सा है।
- **महत्त्व:** चीन का दावा है कि सैंडी-के एक प्राकृतिक रीफ है, न कि मानव निर्मित। यदि चीन इस पर अपना अधिकार मजबूत करता है, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इस रीफ के पास के 12 नॉटिकल मील (22 किलोमीटर) के प्रादेशिक जल क्षेत्र पर भी उसका अधिकार हो जाएगा। इसमें थिटू द्वीप के पास के जलक्षेत्र भी शामिल हो जाएंगे जो फिलीपींस के अधिकार क्षेत्र में है।
  - सैंडी-के के चारों ओर प्रादेशिक जल क्षेत्र पर दावा करने से निकटवर्ती सूबी रीफ (Subi Reef) पर भी उसका दावा मजबूत हो जाएगा। सूबी रीफ चीन के अधिकार क्षेत्र में सैन्यीकृत डीप वाटर पोर्ट है।
- यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब फिलीपींस और संयुक्त राज्य अमेरिका "बलिकातन" (Balikatan) नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं।

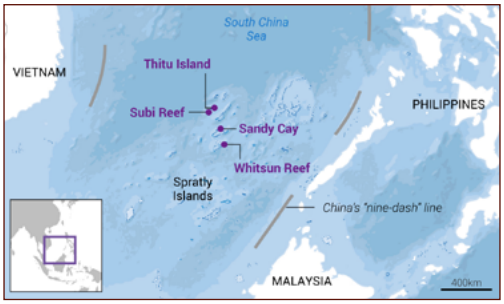

सेमी-क्रायोजेनिक इंजन

इसरो ने सेमी-क्रायोजेनिक इंजन का दूसरा शॉर्ट हॉट टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया। यह लॉन्च व्हीकल मार्क-3 (LVM3) के सेमीक्रायोजेनिक बूस्टर स्टेज को शक्ति प्रदान करेगा।

सेमी-क्रायोजेनिक इंजन क्या है?

- सेमी-क्रायोजेनिक इंजन क्रायोजेनिक और पारंपरिक इंजन के लाभों को मिलाकर काम करता है। इसमें हाइड्रोकार्बन-आधारित ईंधन (जैसे, केरोसिन) के साथ क्रायोजेनिक ऑक्सीडाइज़र (जैसे, लिक्विड ऑक्सीजन) का उपयोग किया जाता है।
  - क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में तरल हाइड्रोजन और ऑक्सीडाइज़र के रूप में तरल ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। इससे बिना किसी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन या प्रदूषण के 100% दक्षता मिलती है।
- **उद्देश्य:** क्रायोजेनिक और गैर-क्रायोजेनिक प्रणोदकों को मिलाकर प्रदर्शन एवं परिचालन सरलता के बीच संतुलन हासिल करना।

सैटेलाइट बस ऐज़ ए सर्विस

भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) ने सैटेलाइट बस एज़ ए सर्विस (SBaaS) नामक एक नई पहल के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं।

सैटेलाइट बस एज़ ए सर्विस के बारे में

- **उद्देश्य:** स्मॉल सैटेलाइट बस प्लेटफॉर्म्स को डिजाइन और विकसित करने हेतु भारतीय निजी अंतरिक्ष अभिकर्ताओं को अवसर प्रदान करना। इससे इन प्लेटफॉर्म्स पर दूसरे देशों या कंपनियों के उपकरण (पेलोड) लगाए जा सकेंगे।
  - सैटेलाइट बस किसी उपग्रह का मुख्य भाग और संरचनात्मक घटक होता है, जिसमें वैज्ञानिक उपकरण लगाए जाते हैं।
- **महत्त्व:** भारत के अंतरिक्ष क्षेत्रक के लिए पहुंच का लोकतंत्रीकरण करना और आयात पर निर्भरता कम करना।

AIM4NatuRe पहल

खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) ने पृथ्वी दिवस (22 अप्रैल) पर 'एक्सीलरेटिंग इनोवेटिव मॉनिटरिंग फॉर नेचर रेस्टोरेशन (AIM4NatuRe)' पहल शुरू की।

AIM4NatuRe पहल के बारे में

- AIM4NatuRe एक्सीलरेटिंग इनोवेटिव मॉनिटरिंग फॉर नेचर रेस्टोरेशन (प्रकृति पुनर्स्थापन के लिए अभिनव निगरानी को तेज करना) का संक्षिप्त नाम है।
- **उद्देश्य:** वैश्विक पारिस्थितिकी-तंत्र पुनर्स्थापन प्रयासों की निगरानी और रिपोर्टिंग में सुधार करना।
  - यह पहल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क (GBF) के लक्ष्य 2 में उल्लिखित 2030 तक कम-से-कम 30% खराब पारिस्थितिकी-तंत्र को पुनर्स्थापित करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक, मानकीकृत डेटा फ्रेमवर्क और क्षमता विकास का लाभ उठाएगी।
- यह FAO के AIM4Forests कार्यक्रम का हिस्सा है, जो प्रकृति पुनर्स्थापन निगरानी के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करने हेतु वनों से परे दायरे का विस्तार करता है।

महुआडांड़ भेड़िया अभ्यारण्य (Mahuadanr Wolf Sanctuary)

झारखंड के महुआडांड़ भेड़िया अभ्यारण्य में 'सरना आस्था' में विश्वास करने वाले आदिवासियों में वन और वन्यजीवों के साथ सह-अस्तित्व में जीने की अनूठी मिशाल सामने आई है।

- दरअसल सर्दी के महीनों में साल (Sal) वृक्षों में फूल खिलते हैं। आदिवासी समूह अपनी सांस्कृतिक परंपरा के तहत इस मौसम में साल वन में जाने से बचते हैं, ताकि वन का संरक्षण हो सके। संयोगवश यह मौसम इंडियन ग्रे वुल्फ के प्रजनन और मांद बनाने (डेनिंग) का भी है। इस तरह साल वन के साथ-साथ इंडियन ग्रे वुल्फ का भी संरक्षण सुनिश्चित होता है।

महुआडांड़ भेड़िया अभ्यारण्य के बारे में

- इसे 1976 में भेड़िया अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। यह भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य है।
- यह झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व के भीतर स्थित है।
- बुढ़ा नदी (Burha River) महुआडांड़ घाटी से होकर बहती है।

इंडियन ग्रे वुल्फ (भारतीय धूसर भेड़िये) के बारे में

- इंडियन ग्रे वुल्फ, ग्रे वुल्फ की एक उप-प्रजाति है। यह दक्षिण-पश्चिम एशिया से भारतीय उपमहाद्वीप (भारत, पाकिस्तान आदि) तक पाई जाती है।
- ये शुष्क और अर्ध-शुष्क परिवेश- जैसे कि झाड़ीदार भूमि, घास के मैदान तथा कांटेदार जंगलों में पाए जाते हैं।
- यह भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I के तहत संरक्षित है।

एजेंटिक AI

भारत एजेंटिक AI पेशेवरों की गंभीर कमी से जूझ रहा है, क्योंकि मांग में वृद्धि हो रही है। यह वृद्धि उन उन्नत AI एजेंट्स के कारण है, जो स्वायत्त निर्णय लेने में सक्षम हैं।

एजेंटिक AI के बारे में

- एजेंटिक AI ऐसे AI सिस्टम को कहा जाता है, जो स्वायत्त रूप से निर्णय ले सकता है, कार्य कर सकता है और बदलते पर्यावरण के अनुसार स्वयं को अनुकूलित कर सकता है।
- यह कई डेटा स्रोतों और तीसरे पक्ष के एप्लिकेशंस से विशाल मात्रा में डेटा को ग्रहण करता है तथा इसे स्वतंत्र रूप से चुनौतियों का विश्लेषण करने, रणनीतियां विकसित करने और कार्यों को निष्पादित करने के लिए उपयोग करता है।
- यह समस्या-समाधान के लिए 4-चरणीय प्रक्रिया का उपयोग करता है:
  - समझना (सार्थक विशेषताओं को निकालना, ऑब्जेक्ट्स को पहचानना, आदि),
  - तर्क करना (कार्यों को समझना और समाधान उत्पन्न करना),
  - कार्य करना (तैयार की गई योजनाओं के आधार पर कार्यों को निष्पादित करना), और
  - सीखना (फीडबैक लूप के माध्यम से अनुकूलन करना)।
- यह कंपनियों को 'सॉफ़्टवेयर-एज़-ए-सर्विस' से 'सर्विस-एज़-ए-सॉफ़्टवेयर' की ओर संक्रमण के माध्यम से उच्च मूल्य प्रदान करने में सक्षम बना सकता है।